

भारत सरकार
कार्यालय आयकर आयुक्त,
आयकर भवन, रवींद्र पथ, हजारीबाग।

आयकर अधिनियम की धारा ८० (छ) (5) (V) के अधीन

आ दे श
हजारीबाग, दिनांक २६वीं. फरवरी, २०१०

'सपोर्ट (SUPPORT)', माण्डू, रामगढ़ को इस कार्यालय के आदेश संख्या CIT/HZB/Tech/80G-06/05-06/3998-4000 दिनांक 24.02/2006 से आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा ८०-छ के अधीन मान्यता प्रदान की गई थी।

२. संस्था के आवेदन दिनांक ०८.०९.२००९ के आलोक में आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा ८०-छ के अन्तर्गत उक्त धारा और विहित नियमों में दी गई सीमाओं और शर्तों के अधीन संस्था को दिए गए दान दाताओं के पक्ष में छूट के लिए पात्र होंगे, पुनः मान्यता प्रदान की जाती है।

३. यह मान्यता प्रमाण पत्र निर्धारण वर्ष २०१०-११, २०११-१२ एवं २०१२-१३ के लिए वैध है।



ह/-

[भी. वी. एक्का]

आयकर आयुक्त, हजारीबाग।

ज्ञापन सं:आ.आ./हजा./८०छ-११/२००९-१०/८२६-२४
दिनांक, हजारीबाग २६वीं. फरवरी, २०१०.

प्रतिलिपि प्रेषित :-

१. सचिव, सपोर्ट (SUPPORT), माण्डू, रामगढ़।
२. संयुक्त आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र - २, हजारीबाग।
३. आयकर उपायुक्त, अंचल - २, हजारीबाग।



Secretary
SUPPORT
Hazaribag

आयुक्त उपायुक्त

[ए. के. सिन्हा]

आयकर अधिकारी, मु. (तक),
कृते: आयकर आयुक्त, हजारीबाग।